THE INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL, 1981

SHRI LAL K. ADVANI (Gujarat): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, I introduce the Bill.

THE CIVIL DISTURBANCE VICTIMS COMPENSATION BILL, 1981

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the payment of compensation by the State to citizens and their dependents for injury suffered in the course of civil disturbance, riot or commotion.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1981, [TO AMEND ARTICLES 84 AND 173]

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Sir, I introduce the Bill.

THE DECELARATION AND PUBLIC SERUTINY OF ASSETS OF MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT BILL, 1979—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI: Now we shall take up discussion on the Bill for the Declaration and Public Scrutiny of Assets of Ministers and Members of Parliament, 1979. Mr. Kalyanasundaram was on his legs but I think he is not here now. Mr. Dhabe.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Sir, I welcome the provisions of the Bill moved by my colleague, Shri Sadashiv Bagaitkar, and also the spirit in which it is moved. Sir, the Bill is very important.

It is very unfortunate that the whole political system is stinking and people are losing faith in the democratic institutions because corruption in public life has become rampant. Sir, it cannot be denied—from what we find in the case of the Chief Minister of Maharashtra—that if he was not the Chief Minister he would not have been able to collect even Rs. 5000, but with the office of Chief Minister thousands of rupees were collected under the direction of the Government and by using Government machinery. This sort of collection, of course, is not peculiar to Maharashtra State alone. It is also going on in different States under different names, and the position of Minister or representatives of the people gives them a status through which large-scale collections are made. There are many such States but I do not want to name all the States. About Karnataka and Madhya Pradesh, complaints of corruption are there. Therefore, if we want to make our political institutions safe, it will be necessary that some check has to be there to make public life clean and increase the credibility of politicians. Therefore, the provision which he suggested—that there should be declaration of assets of Members of Parliament and Assemblies and others—in my opinion, is a very salutary provision. Sir, earlier an attempt was made, as you know, and this Government has unfortunately dropped that Bill. The Lokpal Bill was introduced. It was referred to a Joint Select Committee. It discussed the Bill at length. Members of all the parties were there. And a report was submitted. But the Bill in the final form has not seen the light of day. I request through you. Sir, the Government that this Lokpal Bill should be introduced as early as possible. Of course, it is not possi-

[Shri Dinesh Goswami.]

ble in this session, but in the next session it should be introduced if they are really keen about checking corruption in public life. Sir, the provisions of the Lokpal and Lokayukta Bills are quite good. In some States the Lokayukta Act is being implemented, and the experience is that to some extent it has been successful in checking corruption at high places. But the provisions in the Lokpal Bill were more salutary. Even the Prime Minister was kept under the jurisdiction of the Lokpal so that these matters could be examined at length and nobody was kept above the law.

Sir, on two or three other matters I would like to say at this stage. Apart from the recommendations of the Santhanam Committee, the fountain-head of corruption has been our election system and the role of money power therein. The election expenses are so heavy that political parties are required to rely upon resources from outside. The finances required for one constituency are such that an ordinary person cannot fight an election either to the Assembly or to Parliament. Therefore, when the political parties themselves are required to collect donations through doubtful means, it is difficult that such political parties or their representatives will be able to keep a high standard in public life. Sir, if we really want these democratic institutions to succeed, people must have faith in the representatives that they are men of integrity and above corruption and their *bonafides* cannot be challenged. Today it cannot be said like this Therefore, this corruption which is entering every department of life. requires serious consideration by all the Members of this House. Sir, one of my colleagues from Maharashtra, Mr. Bhandare, said that it is heard that some Members of Parliament are in the pay-roll of companies. He also said: "Professional politicians must be weeded out." Sir, I could not understand as to what he wanted to mean by "professional politicians". He has clarified it only by saying he meant "...where politics is business". He has further said: "Every politician must have honest means of livelihood". Sir, to say that politics is only a part-time job is not correct. Today in Parliament and in the Assembly they have to sit for more than four to six months. We have to sit the whole day in the House. Similarly in the Assembly also the work is for a long time. During inter-session period they have to work in Committees which work at least for two to three months. Therefore, eight to nine months in a year is the job which they have to do as representatives of the people. So it has ceased to be a part-time job. It is not like the lawyers who practise in the High Court or the Supreme Court and doctors who do medical practice, can just come for half an hour to Parliament and given darshan. Those days are over. (*Interruptions*). As my friend says, even lawyers find it difficult if they want to do their job and also do justice to their work in Parliament. The Vice-Chairman is also aware of it. He is also an advocate. You cannot do justice to your work here and also do justice to the cause of litigants. Therefore, these institutions required a full-time job. It is necessary that proper attention is paid to the amenities and the problems of the MPs and MLAs. Therefore, when we consider this Bill, it is the duty of the democratic institutions and the representatives of the people to see that the problem of corruption does not creep into public life. into political life, because of inadequacy of emoluments or other things. Lastly, I have only one submission to make. If corruption is not weeded out from our political life, the entire democratic fabric will be destroyed. People outside are saying openly, anywhere you go, you go even to the courts, Ministers' offices, everywhere, unless you pay something, some money, right from the peon at the door, you cannot meet the Minister or even in the courts of law you have to pay something for getting even for affidavits. Thus, corruption has entered every walk of life. It is a problem which

concerns all of us and therefore, ways and means should be found to weed it out. We have to see what should be done so that the political institutions are not corroded. Therefore, I suggest to the Government—political institutions depend upon party system, they depend upon not encouraging defections; it depends upon how parliamentary representatives can do their work effectively, and also that political parties themselves are not party to this evil of corruption. Unless political representatives and the Ministers are above board, the question will never be solved. Today it is a very unfortunate thing that the five-star culture is being practised by Ministers. Meetings in Bombay are held by the Chief Minister only in the Taj Mahal Hotel or in the Oberoi. This sort of five-star culture is quite contrary to our Indian conditions and Indian people's thinking. Therefore, unless high standards are laid down by the representatives of the people and corruption is weeded out, it will not in any way help the country and our democratic institutions will not prosper. In this context I welcome this Bill.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल आया है, मैं समझता हूं कि यह सिर्फ इस मद्देनजर से आया है और इससे सभी लोग इत्तफाक करेंगे कि हमारे जन-जीवन में इतनी ज्यादा गंदगी आ गई है कि उस गंदगी से अपने को ऊपर बचाने के लिये हम लोगों का यह फर्ज हो जाता है कि हम इस बिल का अहतराम करें। उपसभाध्यक्ष महोदय, असल में सवाल यह पैदा होता है कि जब से सामाजिक जीवन के साथ गैर राजनैतिकों का जीवन जुड़ा है तब से उनके मूल्य टूटने लगे हैं। आजादी के लड़ाकू सिपाहियों और आजादी के मार्गदर्शकों ने एक ही चीज हम लोगों को सिखलाई कि सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच की जो दूरी है वह नहीं होनी चाहिए। सामाजिक जीवन आपका तभी अच्छा हो सकता है जब कि आपका व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा हो। अगर व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में अन्तर्विरोध रहेगा तो सार्वजनिक जीवन खराब हो जायेगा। इसीलिये जो आज चारों तरफ भ्रष्टाचार, टूट और अन्य बहुत सी बातें चल रही हैं उसके लिये मैं सब को तो दोष यहां नहीं देना। लेकिन जिस घर का मुखिया ऐसा हो जायेगा तो उस घर का क्या होगा? मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान बड़े अदब से आकर्षित करना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन संस्थाओं में जहां से हम लोग आते हैं, जहां हम बैठते हैं, उन संस्थाओं को पहले देश की जनता या देश के लोग अपने एक मित्र की शक्ल में देखा करते थे और समझते थे कि यहां जो आदमी बैठा है वह पवित्र है, साफ है, अच्छा है और वे अपने दुख-दर्द की फरियाद लेकर हमारे पास आते थे और उनका यह विश्वास था कि यहां हम को जरूर शांति और न्याय मिलेगा। अब कोई इससे कहे कि बेईमान, हैं, मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो यह कहें कि इन संस्थाओं की उपयोगिता खत्म हो गई है, ये संस्थायें टूट रही हैं या कोई आदमी उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। असल में बात यह है कि ये चुनी हुई संस्थायें अपने बोझ के कारण टूट रही हैं, हमारे व्यवस्था के कारण और व्यवहार के द्वारा ये संस्थायें टूट रही हैं और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप को यह याद होगा, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि पहले हिन्दुस्तान में किसी भ्रष्टाचार या किसी बड़े दुराचार की बात सदन में जब उठती थी तब

[श्री लाडली मोहन निगम]

उसको लोग विश्वसनीय मानते थे और आज हालत यह हो गयी है कि जबकि पहले सदन बोला करता था कि इसके बाद जनता बोलती थी या अखबार बोलते थे, आज बिल्कुल उलट हो गया है। इससे बड़ी और क्या विडम्बना हो सकती है कि हमारी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गयी है कि आज जनता और अखबार पहले किसी चीज को उठाते हैं तब सदन में हम लोग लोग उसकी चर्चा करते हैं। यह मैं इस वास्ते कह रहा हूं बहुत दुखी मन से कि हम लोगों को कितना ज्यादा अवमूल्यन हो रहा है और इस अवमूल्यन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमीं लोगों पर है। इसके लिए कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं है। तो अपना जीवन बहुत अच्छा रहे इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को स्वतः ,फार्म भरने के पहले—अगर गृह मंत्री जो ऐसा कोई कानून बना दे कि जो भी आदमी उमीदवारी का पर्चा दाखिल करने जाता है ,मतलब वह इस बात का फैसला करता है कि हम सामाजिक जीवन में उतरने जा रहे हैं तो उससे पहले , समाज को देश को अपनी सम्पत्ति की घाषणा करे। यह नहीं की जब चुनकर आये तब बतायें।। तब तो बहुत ही लाजमी है। लेकिन अगर पर्चा भरने जाता है तो यह भी शर्त होनी चाहिए, कि जब जो भी आदमो चुनाव में पर्चा दाखिल करेगा तो उसके पहले उसको अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। इसके दो फायदे हैं। एक काले पैसे का आना रूकेगा फिर बैठकर हमें किसी के दरवाजे जाकर कहना नहीं पड़ेगा कि इस आदमी ने अपनी सीमा लांघ कर ज्यादा पैसा खर्च किया। कल उससे यह भी बचत होगी कि हिन्दुस्तान के धन्ना सेठ न राजनीति को प्रभावित कर पायेंगे, न उम्मीदवारों को प्रभावित कर पायेंगे और न उनको हिम्मत इतनी हो पायेगी, कि समाज के सब से बड़े द्रोही लोग चुनाव के जरिये सम्मान प्राप्त करें। आज बिल्कुल बुरा हो रहा है। जो समाज का सब से दुष्ट प्राणी है, जो सब से ज्यादा गिरा हुआ तबका है वह सिर्फ चुन जाता है और प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है, यह मैं इस वास्ते कहना चाहता हूं कि आज प्रतिष्ठा पद के साथ जुड़ गयी है। आदमी आते जाते हैं लेकिन पद कैसा तु ? और जब प्रतिष्ठा का माप दण्ड पद हो गया तो तब तो बिल्कुल साफ है कि पद की प्रतिष्ठा को कायम रखना हमारा और आप का फर्ज है। इसलिए मैं बहुत अदब से कहूंगा कि इतनी ज्यादा दुखान्त और दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली घटनाएं आजाद हिन्दुस्तान के बाद घटी हैं, चाहे किसी तरह की हों उसमें जितने भी जो लांछन आये उसको शायद मैं अगर इशारे में कहूं तो एक ही कारण था, मनुष्य का जन्मजात स्वभाव। मैं नहीं कहूंगा लेकिन यह वारसाना तौर पर मिली हुई ननिधि है कि आज भी मनुष्य संतती और सम्पत्ति इन दोनों के मोह से उबर नहीं सका है और जो भी पाप इन्सान करता है वह सिर्फ इन्हीं दो चीजों के लिए करता है। अपनी औलाद के लिए चाहे उसको अपनी सरकार तक छोड़नी पड़े, वह खत्म हो जाता है लेकिन औलाद करे बचाने के लिए सरकार और देश के भविष्य को भी वह भ्रांत पथ लगा देता है औथ इसी तरह से सम्पत्ति के लिए कहा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब सम्पत्ति और संतति ये दो बुनियादी चीजें हैं जिनके मोह से अगर हमको छुटकारा पाना है और जब तक इनके मोह से छुटकारा नहीं पायेंगे, हिन्दुस्तान के

जनजीवन को अच्छा नहीं बना पायेंगे और इसलिए भी जरूरी है कि हमको कुछ अपने लिए एक आचार संहिता बना लेनी चाहिए । जैसे मैंने कहा कि उम्मीदवारी के वक्त में यह हो जाय ।

दूसरी चीज यह है कि ज्यादा सम्पत्ति होगी तो ज्यादा मोह बढ़ेगा सम्पत्ति की एक सीमा बन जानी चाहिए कि इससे ज्यादा कोई सम्पत्ति रख नहीं सकता । अगर आप जमीन की भी सीमा लगा देते हैं और चीजों की सीमा लगाते हो तो सम्पत्ति की भी सीमा समाज में लगायेंगे तो चाहे कोई आदमी हो इससे ज्यादा सम्पत्ति नहीं रख सकता और . . . . (**व्यवधान**) वह तो चोरी करता है इस वास्ते कि मोह से जुड़ा हुआ है । आपकी बात मानता हूं । अब जैसे मिश्रा जी ने कहा है, इस वास्ते मैं कह रहा हूं कि काला धन किस तरीके से सामाजिक जीवन में काले खून की तरह घुस गया है, दूषित बना रहा है ,हमारे जनजीवन को, उसको भी कैसे दूर करें इसके लिए मेरे सुझाव हैं और गृह मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आप चाहते हों कि सामाजिक जीवन सुधर जाए, तो आइये सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव ले आइये कि हिन्दुस्तान में कोई भी आदमी एक निश्चित सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा । खर्च की सीमा आप को बांधनी होगी । आमदनी की बात, मेरी जुबान में इस वक्त इतनी ताकत नहीं कि मैं कह सकूं । चाहता तो यह भी हूं कि आमदनी की भी सीमा बांधें । लेकिन खर्च की यदि आपने एक बार सीमा बांध दी, ,तो फिर किसी आदमी को आपने कहा कि दो हजार या पांच हजार से ज्यादा एक परिवार खर्च नहीं कर सकता, तो फिर इससे ज्यादा उसको संचित करने की भी भूख नहीं रहेगी और यह भी हो सकता है कि उससे ज्यादा उसके पास संचित हो, तो वह सम्पत्ति किसी व्यक्ति की न हो, कर राष्ट्र की बन जाए ।

इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बात का भी प्रावधान करें राजनीतिक जीवन को ऊंचा करने के लिए, सुधारने के लिए या राजनीतिक शुद्धता के लिए कि जो आदमी अमुक सीमा से ज्यादा सम्पत्ति बनाता है, उसकी सारी सम्पत्ति जब्त हो जाएगी । फिर क्यों कोई मंत्री एक बड़ा ट्रस्ट बनाएगा क्योंकि अब एक रास्ता निकाल लिया है लोगों ने ट्रस्टों का । सार्वजनिक उपयोग के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है ।

इस वास्ते मैं आप से कहता हूं कि इस गन्दगी में अब कंठ तक समाज और देश डूब चुका है, अब दूसरा रास्ता लोग सोचने लगे हैं । लेकिन यह सिलसिला बहुत शुरू से है ऐसा नहीं कि अभी एक दो महीनों से अखबारों में सुर्खियां चल रही है। यह बहुत पहले से चल रहा है । हिन्दुस्तान की आजादी के दस वर्ष के बाद ही, मैं नहीं लेता हूं, आप जानते हैं और न मैं नाम लेना चाहूंगा, पहली मर्तबा एक जिम्मेदार पदाधिकारी, एक किसी दल का अध्यक्ष, किसी एक पैसे वाले को चिट्ठी लिखता है कि फलां-फलां नाम का एक ट्रस्ट है, इसको अगर कोई इतना पैसा दे देगा तो मैं इस बात को अपने पिता जी से कह दूंगा या कह दूंगी । इसका मतलब साफ है कि गलियारा खोल दिया आपने । इस वास्ते

[श्री लाडली मोहन निगम]

बहुत जरूरी है कि हम लोगों के ऊपर जो अंकुश लगाई हुई है उसमें तो नहीं रहेंगे। लेकिन यह संस्था तो रहेगी। आज जनता का विश्वास इस संस्था से उठने लगा है। संसद और विधायकों तथा विधान सभाओं से विश्वास उठ रहा है। इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि संसद का विश्वास अपनी पूर्व साख की तरफ जाए जहां लोग यह समझ सके कि अगर हम सभी दरवाजे से डूब भी जाएं हमको सब जगह से भी अगर कोई न्याय नहीं मिलेगा, यहां ऐसी संस्था है जहां पहुंच जाएंगे, तो हमको न्याय मिलेगा और अगर यह विश्वास हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो भी जरूरी है कि हमको अपना सार्वजनिक जीवन खुली किताब की शक्ल में रखना चाहिए।

इसके लिए मैं समझता हूं कि किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं यह बात आपको इस वास्ते कह रहा हूं कि यह कोई नई चीज नहीं है। (समय की घंटी) कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई, सब से पहले यह बताया कि हर कांग्रेसी आदमी को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी और यह क्रम 1957 तक चला, बल्कि 1967 तक चलता रहा।

श्री धर्मबीर : (उत्तर प्रदेश) : अब भी है।

श्री लाडली मोहन निगम : वही मैं बता रहा हूं।

श्री धर्मबीर : फर्क क्या है ?

श्री लाडली मोहन निगम : वह समझ लें कि फर्क क्या हुआ। मैं वही बता रहा हूं। उस वक्त में हुआ कि— और अब भी किताब में लिखा हुआ है आप को बताना चाहिए, हर दल ने अपनी आचार-संहिता बना ली कि हर दल के सदस्य को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी।

मेरे जो कहने का मतलब है वह यह है कि कहने को तो आप का यह भी लिखा हुआ है कि हर आदमी को आदतन खादी पहनना चाहिए।

श्री धर्मबीर : आप पहनते हैं।

श्री लाडली मोहन निगम : लेकिन इससे से बड़ी बिडम्बना क्या है कि आज हिन्दुस्तान का जो सारा काबीना है उसके तीन-चौथाई सदस्य सफारी है, टेरीकाटन पहन कर के घूमते हैं खद्दर पहनते ही नहीं।

श्री धर्मबीर : स्वदेशी तो है।

श्री लाडली मोहन निगम : तो उसी तरीके से जो आपने कहा कि आज भी आपके यहां बंधन हैं, मैं मान लेता हूं उसको, लेकिन देखता कौन है, उसको सार्वजनिक बनाने का ही प्रश्न है। मैं इस वास्ते कह रहा था— एक सदस्य हैं इसी सदन में श्री कृष्णा, जब यह नई प्रधान मंत्री जी आईं, यह अपना रिटर्न भरना भूल गए थे। इनको हुक्म दिया कि आपने अपना रिटर्न क्यों नहीं भेजा है, इस साल आपने अपनी घोषणा क्यों नहीं दी। इन्होंने लिखा कि जो पहले थी, अभी कुछ नहीं। फिर आया कि पता चला है कि तुम्हारी पत्नी के नाम से आपने कोई जमीन ली है। तो फिर इसका ब्यौरा उन्होंने दिया। यह उदाहरण मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि उस जमाने में थोड़ा-बहुत डर लगा रहता था लोगों को कि अगर हमने इस बात की घोषणा नहीं की, तो हमारी अपात्रता हो जाएगी, हम सदस्य नहीं रह सकेंगे।

यह मैंने इस वास्ते आपसे कहा कि हमारे गृह मंत्री जी आप एक ऐसा कानून बनायें कि निश्चित रूप से जब भी कोई जैसे ही

पर्चा दाखिल करने जाता है, जो भी आदमी सार्वजनिक जीवन में उतरना चाहता है, उसके लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि उसको अपनी सम्पत्ति, अपने परिवार की सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी। सम्पत्ति की सीमा लगाने के बाद मैंने व्यक्तिगत खर्च की सीमा को लगाने की बात की है। कल कारखाने और खेतों की बात नहीं की, और उसके बारे में आपको इस वास्ते भी जरूरी है कि उप-सभाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम बात तो करते हैं गरीबों की और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा बड़ी सम्पत्ति वाले लोग चलते रहे तो स्वभाविक है नीचे वाला ऊपर वाले की नकल करता है। तो मैं ने सुझाव दिए हैं। एक, जब भी उम्मीदवार का परचा दाखिल हो उसके पहले ही यह अनिवार्य रूप में शर्त बांध देनी चाहिए कि हर आदमी को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी। संतति और सम्पत्ति के मोह से छुटकारा पाने के लिए आप के लिए यह आवश्यक है कि हर आदमी के खर्च की सीमा को निर्धारित करना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जो भी अपने व्यक्तिगत आमदनी की घोषणा करता है, वह सार्वजनिक होगा। सार्वजनिक इस मानी में होगा कि उस के दावे को कोई भी आदमी कहीं भी चैलेन्ज कर सकता है क्योंकि अगर आप खाली घोषणा कर दें कि मेरी 5000 रु० आमदनी है और सब को पता है कि 10000 रु० की आमदनी है, तो उसकी क्या सूरत होगी? इस वास्ते जब तक एक पब्लिक ड्यूटी, सार्वजनिक कर्त्तव्य मान कर कानूनी अधिकार नहीं मिले कोई आदमी किस बात के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा सकता है। इसलिए जरूरत है कि अगर मैंने सम्पत्ति का दावा किया है तो उस को चैलेन्ज करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को होना चाहिए।

आखिर में उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अगर सार्वजनिक जीवन में हमको यह कोढ़ दूर करना है, अब भी समय है और जैसा कि मैंने शुरु में कहा इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पहले पार्लियामेंट या विधान सभायें समाज के भ्रष्टाचार और पाप को खोला करती थीं ताकि देश सजग हो जाए ऐसे भ्रष्टाचारियों की तरफ अंगुली उठ सके कि वह चोर आदमी है लेकिन आज हालत यह है कि हम उसमें भी असमर्थ हो गए वंचित हो गए। अब यह है कि अखबार पहले किसी की पोल खोलते हैं फिर हम बहस करते हैं। मैं यह इस वास्ते कह रहा हूं कि हमारे सार्वजनिक जीवन में कितनी गिरावट आ गई है और फिर दोष देना कि एक व्यक्ति जिम्मेदार है अपनी संस्था को तोड़ने का यह कहां की बात है? इसलिए मैं सर्वानुमति से आप से चाहता हूं कि यह सादाशिव बागाईतकर जी का प्रस्ताव हम लोगों को मान लेना चाहिये। इस में कोई नयी बात नहीं कह रहे है। गांधी जी ने भी तो यही कहा था ना कि हमारी जुबान में और हमारे हाथ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए? जसा बोलो वैसा करो। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि बोली और कर्म--कोई न कोई रिश्ता उस से बनता है। मैं नहीं कहता पूर्णतया बन जाएगा। यह तो तब होगा जब सब के पास बराबर की सम्पत्ति हो जाएगी। तब न सम्पत्ति की भूख रहेगी न कोई सम्पत्ति इकट्ठा करेगा। लेकिन बोली और कर्म का रिश्ता एक बनाना चाहिए। यह जरूरी है। आप इसको तत्काल बिना किसी उलझन के पास कर दें। हो सकता है इस पूरे बिल में सभी बातें हीं आएं। लेकिन यह तो एक प्रतीक के रूप में हम ने आपके सामने रखा है। सरकार खुद इस पर एक कानून मुकम्मल बना कर ला सकती है। और उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसकी आत्मा का सवाल है, किसी सदस्य ने इस पर कोई विरोध प्रगट नहीं किया है। अगर आप चाहते हो कि समाज के अंदर श्रम का भी मूल्य बढ़े और पसीने की कमाई के पैसे की इज्जत हो, तो और भी यह जरूरी है। और अगर आप चाहते हो हरामीपन से कमायी हुई दौलत प्रतिष्ठा पाए, तो

[श्री लाडली मोहन निगम]

मुझे कुछ कहना नहीं है । इस वास्ते भी जरूरी है कि देश के श्रम का लाभ जो इस तरीके के वैभव, सम्पन्नता और विलासिता में हम राजनीतिज्ञ उठाते हैं, उस से समाज खण्डित हो रहा है, वह नहीं हो ।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : कहां डूबा है ? कौन डूबा है ?

श्री लाडली मोहन निगम : राजनीतिज्ञ डूबे हैं । क्या बात करते हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : अब समाप्त कीजिये ।

4.00 P.M.

श्री कल्पनाथ राय : क्या राजनीति में काम करने वाले व्यक्तियों से—किसी भी दल के व्यक्ति हों—बढ़ कर अच्छा वर्ग इस देश के अन्दर है ?

श्री लाडली मोहन निगम : इतना कह सकता हूं कि अनुपात के रूप में ज्यादा हों, यह कभी मत भूलना, जिस की तरफ इशारा किया था गांधी जी ने, कि चुने हुए प्रतिनिधि और उस के मतदाताओं के बीच जितनी कम दूरी और खाई होगी प्रजातन्त्र उतना ही चमकेगा । आज एक साधारण आदमी, जिस जिस का वोट ले कर हम आते हैं, के जीवन में और हमारे-आप के जीवन में कितना फर्क है, यह बताइये । इस लिए यह जरूरी है कि हम जो मतदाताओं के भाग्यविधाता हैं और मतदाता जो हमारे भाग्य के विधाता हैं उन के बीच कोई सामंजस्य तो हो । इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि आप देखोगे कि हम सब भ्रष्ट हो गए हैं । इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गांधी जी की परिकल्पना थी कि चुने हुए प्रतिनिधि और चुनने वाले लोगों के बीच में समानता रहे इस के लिए भी जरूरी है कि इस को आप साफ रखें ।

जो चार-पांच बातें मैंने कहीं थीं वह मैं फिर कह देता हूं । एक, उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करते समय आप को एक निश्चित कैद बनानी चाहिए कि हर आदमी अपनी और अपने परिवार की सम्पत्ति का ब्यौरा दे । दूसरे चुनने के बाद जो रिटर्न देता है वह देना पड़ेगा । फिर खर्चे की बात मैंने की । देश की राजनीति में काला धन न आने पाये इस के लिए आप को सार्वजनिक कानून बना कर निश्चित करना पड़ेगा कि देश में किसी भी आदमी को एक निश्चित सीमा से ऊपर खर्च न करना पड़े । तभी हमारा जीवन साफ होगा और हिन्दुस्तान की राजनीति में जो विश्वास टूट रहा है वह पुन: स्थापित हो सकता है । इस दूरी को दूर करने के लिए मैं बहुत गम्भीरता से, गृह मंत्री जी, आप से चाहूंगा कि इस बिल को आप पूर्ण समर्थन दें ।

श्री धर्मवीर : श्रीमन्, हमारे विद्वान सदस्य लाडली मोहन जी निगम ने सार्वजनिक जीवन की पवित्रता के बारे में जो बातें कहीं हैं उन की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और मैं उन्हीं की बात से शुरू करना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि चुनाव में पर्चा दाखिल करते समय हर व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर देनी चाहिए । मान्यवर, प्रत्येक सदस्य जब चुनाव में पर्चा दाखिल करता है, वह चाहे विधान सभा का सदस्य हो, चाहे लोक सभा की सदस्यता के लिए खड़ा हो, वह शपथ ग्रहण करता है संविधान के प्रति निष्ठावान होने की । जब वह संविधान के प्रति निष्ठावान होने की शपथ ग्रहण कर लेता है तो यह स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति संविधान के अनुसार, संविधान की मर्यादाओं के अनुसार देश की प्रतिष्ठा और समाज की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए काम करेगा । इस के लिए अलग से कानून बनाने की बात आप के दिल में आती है इस के माने हैं कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के नेताओं के प्रति आप के मन में अनास्था

पैदा हो गयी है। यह बहुत ही विस्फोटक स्थिति देश के लिए होगी कि उन लोगों के प्रति सन्देह प्रकट किया जाये जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया, जो लोग बार-बार यहां पर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं, देश को ऊंचा उठाने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश के मान और सम्मान को ऊंचा उठाने के लिए दूसरी तरफ दुनिया के तमाम उन बड़े राष्ट्रों की, अमित्र राष्ट्रों की जो काली छाया हमारे पर सदा रही है उस के लिए हम रात-दिन चिन्तित रहते हैं, देश की मान-प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कृतसंकल्प रहते हैं। इस के पीछे जो सब से बड़ा सम्बल है वह है जनता का विश्वास। जनता का विश्वास इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि जनता की अदालत से बढ़ कर कम से कम हमारे दल के लिए कोई दूसरी कोई अदालत नहीं है। संविधान के द्वारा निर्दिष्ट जो अदालतें हैं उन को हम स्वीकार करते ही हैं। लेकिन उस के अलावा देश की सब से बड़ी अदालत जनता की अदालत। जनता अपने विवेक से अच्छे, ईमानदार, जन-सेवक, निष्ठावान, देश के प्रति निष्ठा रखने वाले अच्छे-अच्छे उम्मीदवारों का चयन करती है। हम सदन के अन्दर चर्चा करते हैं, भ्रष्ट अफसरशाही, नौकरशाही, उन बेईमान ठेकेदारों की और बड़े-बड़े पूंजीपतियों की, जिन के प्रति जनता में एक अविश्वास रहता है, और जनता यह सोचती है कि ऐसे अपराधियों के प्रति दिल्ली में बैठी हुई भारतीय संसद और संसद के सम्मानित सदस्य उस के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जिस दिन जनता में यह भावना जाग्रत हो जाय कि संसद के और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी भ्रष्ट हैं और उन का चरित्र अच्छा नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप का यह जनतंत्र कहां जायगा। यह एक चुनौती है सारे जनतन्त्र पर आस्था रखने वालों के सामने है। मैं समझता हूं यह एक चाल चली जा रही है कि जनता के प्रतिनिधियों पर आधारित जो यह जनतंत्र प्रणाली है इस को कैसे कमजोर किया जाय, कैसे इस को समाप्त किया जाय, कैसे इस को निर्बल किया जाय। यह भी एक षड्यंत्र का अंग हो सकता है। श्रीमन्, भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। हमें स्वयं अपने जीवन में उच्च आदर्श और सामान्य जीवन की पवित्रता की घोषणा करनी चाहिए और इस का आइना हम स्वयं नहीं होते, इस का आइना होती है देश की जनता जो उस को प्रमाणित करती है। मात्र कानून बनाने से कोई अपराध, कोई बुराई समाज की समाप्त नहीं होती। न जाने कितने कानून बने, क्या हुआ। चोरी करना अपराध है, हत्या करना अपराध है, डकैती करना अपराध है, व्यभिचार करना अपराध है और भी बहुत सी चीजे हैं जो अपराध घोषित हैं। उन के लिए कानून है और उन में उन सब के लिए दंड का प्रावधान है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे वे अपराध कम होते हैं? या वे अपराध समाप्त हो गये हैं। नहीं, यह समाप्त हो नहीं सकते। यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, मनुष्य में अच्छाई और बुराई की एक प्रेरणा होती है। देश के अन्दर सभी अपराधी नहीं होते। देश के अंदर भले लोगों की संख्या अधिक है। ईमानदार लोगों की संख्या अधिक है। चरित्रवान लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन के प्रति समाज से संदेह होता है और उन के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं जिनके दायरे के अंदर सब आते हैं। मैं पूछना चहता हूं कि सामान्य कानून के अंतर्गत चाहे वह मामला

[श्री धर्मवीर]

संपत्ति के बारे में हो, चाहे भ्रष्ट तरीकों से धन लिए जाने की बात हो, क्या संसद् के सदस्यों को या मंत्रियों को या सरकार के अन्य सदस्यों को कोई स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है ? कोई विशेषाधिकार मिला हुआ है ? नहीं, सारे के सारे लोग सामान्य कानून के अन्तर्गत आते हैं और इस बात की हम चेष्टा करते हैं कि जनता में हमारा विश्वास स्थापित रहे क्योंकि हम ने शपथ ली है कि जनतंत्र को हम सदैव मजबूत करेंगे । जनतंत्र प्रणाली के द्वारा इस देश की गरीबी को मिटायेंगे और इस देश के स्थायित्व को हमें बनाये रखना है । इसके लिये अलग से कोई कानून लाया जाय तो उस के कोई मायने नहीं होते और अगर यह विश्वास खो गया तो हमारे सारे जीवन की पवित्रता कहां रहेगी ? अगर सारे देश की जनता समझ जाय कि सारे के सारे लोग जो चुन कर आते हैं भ्रष्ट हैं तो जनतंत्र समाप्त हो जायगा । इस लिये ऐसे विधेयकों से जिन से जनतंत्र को खतरा हो, जिन से जनतंत्र को ठेस पहुंच सकती हो, नहीं लाना चाहिए और ऐसा होने से प्रक्रियायें लम्बी हो जायेंगी । मैं यदि दूसरी बहस में जाउंगा तो बहस लंबी हो जायेगी लेकिन यदि मैं पूछ बैठूं कि जब आप सत्ता में थे और जब इसी सदन में और संसद में प्रश्न उठा था बड़े-बड़े नेताओं के खिलाफ, चाहे वह प्रधान मंत्री रहे हों, मा० मोरारजी देसाई या गृह मंत्री रहे हों, मा० चौधरी चरण सिंह, या अन्य लोगों के खिलाफ, यहां तक कि शासन का अंग होने के बावजूद भी गृह मंत्री और प्रधान मंत्री एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे और सारा देश देखता रहा । लेकिन उस के लिये कुछ नियम हैं । कमीशन बनाये गये, कमीशन आफ इंक्वायरी बैठा । उस की जांच हुई । उस की रिपोर्ट आयी । और उस के अनुसार संसद को निर्णय करने का अधिकार है कि उस पर क्या कार्यवाही हो । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर भी आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये । आयोग पर आयोग बिठाये गये, लेकिन उन का क्या निष्कर्ष निकला ? मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस का सारे का सारा परिवार जिसका अभी आप के सामने दृष्टांत है कि जो देश के लिये समर्पित हो, जिस ने करोड़ों रुपये की संपत्ति को देश के लिये अर्पित कर दिया हो, जिन प्रधान मंत्री के पास ग्यारह वर्ष प्रधान मंत्री रहने के बाद और उन के पिता के 18 वर्ष प्रधान मंत्री रहने के बाद भी स्वयं का अपना कोई मकान न हो, सिर छिपाने के लिये जगह न हो, लेकिन उस के बाद भी उन पर कितने आरोप लगाये गये और उन में क्या निकला । आप देखें कि जनता बड़ी सजग प्रहरी है । उस से बढ़ कर दूसरा प्रहरी कोई नहीं है । बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को जनता रोकती है । तो हमें और आप को समाज में ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाना चाहिए । लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि सार्वजनिक रूप से एक मान्यता चली आ रही है कि जो छोटा आदमी होगा, जो गरीब आदमी होगा वह बेईमान होगा । जो करोड़पति, लखपति होगा, राजे-महाराजे होंगे वह ईमानदार होंगे । इन मान्यताओं को हमें समाप्त करना है । समाप्त कैसे करेंगे ? जब तक हम देश में वातावरण अच्छा नहीं बनायेंगे, कानून से वह मान्यतायें जाने वाली नहीं हैं ।

श्रीमन्, आप चाहते कि बड़े-बड़े अधिकारियों की जांच की जाए, बड़े-बड़े उद्योगपतियों की, बड़े-बड़े पूंजीपतियों की जांच की जाए जिन्होंने इस देश में पूंजी इकट्ठी की है तो मैं उनका स्वागत करता । कौन से इंक्वायरी कमीशन बैठाये गये उनके खिलाफ ? यहां पर आप संसद सदस्यों के लिए बिल लाते हैं । किस प्रकार से वह रहते हैं, हमारे हुक्मदेव नारायण यादव जी हैं, लाडली मोहन निगम हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से हम मतदाताओं के बीच में जाते हैं । आपको यह भी मालूम होगा, आपने भी मुकाबला किया होगा चुनावों में, बड़े-बड़े धनदाताओं का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बडे-बडे लखपतियों का

चुनाव में जो खड़े होते हैं, लेकिन उनका निर्णय कौन करता है ? वह जनता है जो जानती है कि हुक्मदेव नारायण यादव जी, एक सच्चे और ईमानदार आदमी हैं, इनको चुनकर भेजना चाहिए । बड़े-बड़े पूंजीपति हार जाते हैं । अगर धन की प्रतिष्ठा के आधार पर, अपनी सम्पत्ति के आधार पर चुनने की प्रवृत्ति जनता में होती तो इस देश के पूंजीपति यहां बैठे होते और कल्पनाथ राय, हुक्मदेव नारायण यादव और निगम जी यहां पर नहीं बैठे होते । यहां पर टाटा, बिड़ला और डालमिया के प्रतिनिधि होते । यह भारत की जनता जानती है, यह उसका निर्णय है । इसलिए उस पर विश्वास रखो । इसी में हमारी और आपकी भलाई है । इसी आधार को लेकर हमें देश को आगे बढ़ाना है ।

श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से राज्यों में इनके लिए नियम लागू किये गये हैं । इसका श्रीगणेश कांग्रेस दल ने किया । मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का कई बार सदस्य रहा । वहां भी इस प्रकार के कानून होने की बात आई तो उसका स्वागत हुआ और उसका निर्णय ले लिया गया । हम सभी सैंकड़ों सदस्य मिल कर हफ्तों समय लगा कर काफी उसमें परिश्रम करके कानून बनाते हैं, कानून की बारीकियों में जाते हैं, तो भी लोग उन बारीकियों से निकल जाने के रास्ते ढूंढ लेते हैं । तो कानून के जरिये अगर हम इस चीज को रोकना चाहें तो कभी रोक नहीं पायेंगे । हमें तो वातावरण बनाना है और अच्छे लोगों का समर्थन करना है । कानून की आड़ लेकर ही लोग इनकम-टैक्स की चोरी करते हैं, सेल्स-टैक्स की चोरी करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं जो अपना विवरण नहीं देते हैं । जहां कानून है वहां विवरण देना पड़ता है । इनकम-टैक्स का, सेल्स-टेक्स का विवरण देना पड़ता है । अगर मकान है तो उस पर टैक्स, वाटर-टैक्स देना पड़ता है । संसद् सदस्यों की जो यहां हालत है, वह आप जानते हैं । मैं अपने संसदीय कार्यकलाप मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चूहे, बिल्ली और जाने कितनी तरह की कठिनाइयों में सदस्यों को रहना पड़ता है । दिल्ली जैसे इलाकों में रहने के लिए जब हमारे क्षेत्र से कार्यकर्त्ता आते हैं तो हम किस प्रकार कठिनाई से उनका प्रबन्ध करते हैं, सभी जानते है । तो आपको यह शंका क्यों आई कि आप बेईमान हैं ? अगर आपको यह शंका हुई थी तो यह बिल जिस वक्त आप शासन में थे, देश की जनता ने आपको प्रबल बहुमत से यहां भेजा था, उस समय आप यहां लाते । लेकिन अब इस मौके पर जब आप यहां विरोध पक्ष में बैठ गये तब ऐसा बिल लाना क्या सही है ?

SHRI SADASHIV BAGAITKAR (Maharashtra): Let me correct him on facts. This Bill was introduced in 1979 when I was sitting there.

उनको गलतफहमी यह है कि यहां पर आने के बाद मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया ।

I introduced this Bill when I was sitting there.

श्री धर्मबीर : मैंने आपको थोड़ा कहा है । मैं तो कहता हूं कि आपने जिस प्रकार से बिल का समर्थन किया है, उसी समय आप लाते । यह तो वही बात हुई जैसे पांडवों के दरबार में जब द्रोपदी की चीर हरी जा रही थी तो वहां बैठे बड़े-बड़े योद्धाओं को, धर्म परायणों को धर्म की याद नहीं आई । पांडवों के बारे में जब श्रीकृष्ण ने जो समझौता करना चाहते थे तो उस समय उनको धर्म की याद नहीं आई और जिस वक्त महाभारत के युद्ध में जब कर्ण के ऊपर प्रहार करने को अर्जुन से कहा कृष्ण ने तब कर्ण ने कहा, क्या यही धर्म है कृष्ण भगवान ? तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो व्याख्यान दे रहे हैं दैनिक जीवन में पवित्रता स्थापित करने के लिए, ये उस समय आपको कहना चाहिए था मा० मोराजी देसाई से, आपको कहना चाहिए था मा० कांति देसाई से ।

उनको कहना चाहिये था भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता अटल बिहारी

[श्री धर्मवीर]

वाजपेयी को, लाल कृष्ण ग्राडवाणी जी को जिन्होंने ट्रस्टों के माध्यम से लाखों-करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और जनता के सामने कोई घोषणा नहीं की जैसे स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के नाम से भी लाखों रुपये, अरबों रुपये इकट्ठे किये लेकिन इस सदन में उसकी चर्चा नहीं की। आज आप व्याख्यान देने आए हैं, आज आप हमें बताने आए हैं ? हम कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के नेता प्रयत्नशील रहे हैं और हैं, कानून के माध्यम से ही नहीं व्यावहारिक जीवन से अपने जीवन की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिये। इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हैं हमारी देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी। जिसके बारे में मैं कह चुका हूं कि कि प्रधान मंत्री के पद से हटने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास सर छिपाने के लिये जगह नहीं थी। उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं थी उनके लिये सर छिपाने के लिये, उनके रहने के लिये। जिसके पास सर छिपाने के लिये जगह न हो आज इस देश में, इस जनतंत्र में उनके ऊपर कीचड़ उछाली जाती है। जब वह प्रधान मंत्री नहीं थी तब इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि यह इस देश को छोड़ कर भाग जाने वाली हैं लेकिन उस वक्त भी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि मैंने और मेरे परिवार ने इस देश की सेवा की है इसलिये मैं उस को छोड़ कर कहीं जाने वाली नहीं हूं। इस पर भी आपने अंगुली उठाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं लेकिन यह समय नहीं है। यह अवसर नहीं है इस बात को कहने का। अगर कानून के माध्यम से यह बात करनी होती तो आज स्वतंत्र रूप से देश की जनता नहीं घूमती। आज कानून के माध्यम से गरीबी को रोकने की बात होती तो आज यह स्थिति न होती। कानून के माध्यम से सब काम नहीं होता है इसीलिये आज हमारा देश आगे बढ़ने लगा है। हम चाहते हैं कि देश की जनता आगे बढ़े, देश का उत्पादन बढ़े लेकिन इस देश में — बढ़ते हुए उत्पादन को, देश की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने के लिये न जाने किस-किस प्रकार के रोड़े अटकाये गये, जनता को भड़काया गया। 1977 के आम चुनावों में देश की जनता का निर्णय हमारी नेता ने स्वीकार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसी सदन में आपके बड़े-बड़े नेता थे क्या उनके बारे में आपने कोई बात कही ? उपसभाध्यक्ष जी, दो-तीन मिनट ही लूंगा। इस बिल के पीछे क्या भावना है ? वास्तव में इस के पीछे इस देश की गरीबी है। इसके पीछे इस देश की आर्थिक कठिनाई है जिसको दूर करने के लिये हमको और आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिये। जिस प्रकार हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रयास करती रही हैं, रात दिन घूमकर इस देश के प्रशासन को स्वच्छ बनाने का प्रयास करती रही हैं, देश का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास करती रही हैं वह सब के सामने है। मैं पूछना चाहता हूं कि यू० एस० ए०, तथा यूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र जो धनी हैं, सम्पन्न हैं क्या वह भ्रष्टाचारी नहीं हैं ? क्या वहां पर इसी प्रकार की बातें नहीं हैं ? जो चोर है, जो बेईमान है वह एक न एक दिन जरूर कानून की गिरफ्त में आएगा। यह भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग लिख कर दे दें कि हम ईमानदार हैं, हम चरित्रवान हैं लेकिन, चरित्रवान कोई कह देने से नहीं होता बल्कि वह उसके व्यवहार से आंका जाता है कि कौन कितना चरित्रवान है।

श्री रामानन्द यादव: (बिहार) : गांधी जी की समाधि पर शपथ खाई है इन्होंने । तब ऐसी बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सदाशिव बगाईतकर : आप अपना पुराना इतिहास उठा कर देख लीजिए । (व्यवधान)

श्री धर्मवीर : एक मिनट में समाप्त करता हूं । मैं अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण आप पैदा करने की चेष्ठा कर रहे हैं उसके पीछे मंशा क्या है ? आज यह जो बिल लाए हैं उसके पीछे मंशा क्या है ? इसके पीछे उनकी मंशा केवल यही है कि वे साबित करना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वे बहुत ईमानदार हैं और हम बेईमान हैं । कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, सन् 1980 के आम चुनावों में जनता ने इसका फैसला कर दिया है । इस देश की जनता ने बता दिया है कि इस देश में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है और कौन इस देश को चला सकता है । हमारे देश की जनता ने यह भी बता दिया है कि कौन इस देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा सकता है देश की जनता ने इन प्रश्नों का फैसला कर दिया है । इसलिए इसके लिए कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है । इस वक्त जो कानून हमारे पास मौजूद है उसी कानून को अगर हम प्रभावकारी ढंग से लागू करें और विरोधी पक्ष के लोग उसमें सहयोग दें तो हम अपराधों की रोकथाम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, रेलगाड़ियों में जो गड़बड़ी होती है, जो एक्सीडेन्ट्स होते हैं, रेलों में जो सेबोटेज करने वाले लोग हैं, उनको कठोर दण्ड दे सकें । आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोग जो देश का विघटन करने वाले हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर झगड़े पैदा करते हैं उनका मुकाबला करने के लिए कानून बनाना चाहिए और उसके लिए देश में वातावरण बनाना चाहिए । गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया था हमें उसको और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए । इन शब्दों के साथ इस बिल के प्रस्तावक श्री बागाईतकर जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे इसको वापस ले लें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Before I call the next speaker, I am to inform the House that the hon. Chairman will give his ruling on the privilege question at 5 p.m. today. Mr. Harekrushna Mallick is not here. Mr. Narsingh Narain Pandey.

श्री नरसिंह नारायण पांडेय: (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् उपसभाध्यक्ष जी, यह बिल जो माननीय सदस्य श्री बागाईतकर जी ने इस सदन में पेश किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसको लाने के पीछे उनके मन में एक पुनीत धारणा रही होगी । उनका कहना है कि हम जो राजनीतिज्ञ है, राजनीति में प्रधान रूप से बैठे हुए हैं, उनके ऐसेस्ट्स और लायबिटीज की जांच हो ताकि लोग यह देख सकें कि कौन कितना ईमानदार है । उनका यह भी कहना है कि इससे हमारे देश में नैतिक स्तर की मान्यता बढ़ेगी ।

श्रीमन्, मैं बहुत देर से यह विचार कर रहा था कि इस विषय को कहां से शुरू करूं ? उपनिषदों के वाक्यों से शुरू करूं, वेद वाक्यों से शुरू करूं अथवा कहां से शुरू करूं ? कैसे श्री बागाईतकर जी को समझाऊं कि नैतिकता कानून से नहीं बना करती है ? वास्तव में हमारे

[नरसिंग नारायण पांडेय]

दिल और दिमाग में क्या है, इससे नैतिकता बनती है। हम भौतिकवाद में अपने आपको कितना लिप्त करते हैं, इस पर हमारी नैतिकता निर्भर करती है। हमारे बुजुर्ग उपनिषदों में यह कह गये हैं कि "न वित्तेन तर्पणीयों मनुष्ये"। मनुष्य के वित्त के लिए तर्पण करने की आवश्यकता नही है। आम व्यक्ति के लिए वित्त एक साधन है। हर आदमी को वित्त का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता के लिए आवश्यक हो। हर आदमी कर्म करना चाहता है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हमारा समाज कर्म प्रधान हो। हमें कर्म प्रधान और ईमानदार समाज की रचना करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इधर के या उधर के बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं वे जरा अपने दिलों की तरफ नजर करें और देखें कि आज के इस भौतिकवादी दुनिया में वे कहां पर हैं? इस दुनिया में जहां पर फाइव स्टार होटल बन रहे हों, स्काई स्केपर बन रहे हों, जहां लोगों की मान्यता केवल कुछ, कपड़ों की आवश्यकता तक ही सीमित नहीं है, जहां अब ऐसे ऐसे साधन मुहैय्या किये जा र हैं कि अगर कोई अपने को सुन्दर बनाना चाहे तो वह सुन्दर बन सकता है और जहां पर सजावट के नये नये साधन उपलब्ध हो रहे हों वहां इस बिल को कानून की शक्ल दे कर हम नैतिक मूल्यों का आदर कर पाएंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। जैसी दुनिया होती है जैसा समाज होता है वैसे ही आदमी को अपने को ढालना पड़ता है और उस समाज में रहना पड़ता है। यह बात सही है कि हम किसी हद तक नैतिकता को अपने बीच में ला सकते है, किसी हद तक अपनी जरूरतों को कम कर सकते हैं। गांधी जी ने, बिनोवा जी ने और हमारे जो दूसरे राष्ट्र नेता है उन्होंने हमारे सामने एक संकल्प रखा था और उस संकल्प के जरिये इस देश को हमने आजाद कराया। उस पवित्रता को हमने आज रखा है और उसको पुनीत करने और उसको पुनःस्थापित करने की हमारे समाज में कोशिश हो रही है। लेकिन श्रीमन् जो लोग बड़े आदर्शों के साथ हमारे बीच में रहते थे वे आज एक एक करके हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं और उनकी जगह पर नये लोग आ रहे हैं, नये विचार लेकर आ रहे हैं, नये सामाजिक विचार और नये आर्थिक विचार लेकर आ रहे हैं। उनका वेट बढ़ रहा है, उनकी मान्यतायें बढ़ रही है और इसलिये हमको एक सामंजस्य इस समाज का और उन व्यक्तियों का स्थापित कर चलना पड़ेगा, तभी हम देश की रचना में सहयोग कर पायेंगे। श्रीमन्, मैं जब इस बिल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि पवित्रता तो बहुत है साधन की पवित्रता हो, दिमाग की पवित्रता हो, सोचने और समझने की पवित्रता हो, कानून को अमली जामा पहनाया जाये, ये सारी बातें श्रीमन् बहुत अच्छी है। लेकिन आखिर इस बिल को लाकर हम किस ध्येय को प्राप्त करना चाहते हैं? यह बिल अगर पास हो जाये तो क्या इससे मिनिस्टर लोग या दूसरे लोग, जिनके लिये यह बिल आया है वे लोग नैतिकता के उस आधार को पुनःस्थापित कर सकेंगे? श्रीमन् आप एक वकील हैं और एक मजे हुए वकील हैं कानून को आप अच्छी तरह से जानते हैं और कानून की विवेचना भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किया करते हैं। श्रीमन् कानून में हर तरह की गलतियां भी होती है, हर तरह के सुराख भी होते हैं। तो क्या इस कानून के बन जाने से और मंत्री अपनी अपनी असेट और लायबिलटीज या एम० पी० अपनी असेट और लायबिलटीज दे दें या जो लोग प्रशासन में हैं वे अपनी

असेट और लायबिलटीज दें दें तो क्या इससे समाज में पवित्रता आ जायेगी, राजनीति में पवित्रता आ जायेगी ? क्या इससे सारे भ्रष्टाचार का अन्त हो जायेगा? कभी नहीं हो सकता बागाईतकर साहब। इसके लिये क्या कभी हमारी सरकार ने कोशिश नहीं की ? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोशिश नहीं की ? संथानम कमेटी बनी । उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स आये और उसके मुताबिक विभिन्न सूबों के मुख्य मंत्रियों को निर्देश भी दिये गये कि आप जब मंत्री बनें तो मंत्री बनने के साथ साथ आप अपनी असेट और लायबिलटीज दें, चाहे वह मुख्य मंत्री हो और चाहे सरकार में किसी भी पद पर रहता हो। तो क्या इससे समाज में कोई बड़ी क्रान्ति आ गई ? क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया ? क्या इससे अनैतिकता खत्म हो गई? इस बिल को ले आने से अनैतिकता बागाईतकर साहब खत्म नहीं हो सकती । इसके लिये तो हमें नैतिक मूल्यों के ऊपर अपने को आधारित रखना पड़ेगा। पहले हमें धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था और इसलिये पढ़ाया जाता था, मुझे श्रीमन् ज्ञान हैं, मैं अपने गांव में जब रहता था तो हमारे पट्टेदार के ऊपर कत्ल का मुकदमा चल गया और उसमें वह मुल्जिम हो गए। जब वह मुल्जिम हो गये तो सारे गाव के लोगों ने उसके साथ बैठना छोड़ दिया और बच्चो ने यह कहना शुरू कर दिया श्रीमन्, कि इनके साथ कौन बैठेगा ये तो कत्ल किये हुए हैं। उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ । इस तरह के सामाजिक बहिष्कार का मतलब हुआ कि समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनको समझा जाय कि इस आदमी ने अमुक गलती का काम किया इसलिये इसका बहिष्कार किया गया है। लेकिन श्रीमन् क्या यह नैतिकता आज से तीन डिकेड, चार डिकेड के बाद हमारे समाज में रहेगी ? वह नैतिकता बिल्कुल नहीं रहेगी । गोवा में श्रीमन्, जब दूसरे लोग हुकूमत किया करते थे तो कोई व्यक्ति अगर एक खजूर तोड़ना चाहता था चोरी से पेड़ से तो इस डर से नहीं तोड़ता था कि कहीं मेरे हाथ न काट दिये जायें । जब मैं वहां पर, 70 में मैं वहां गया, 70 में मैंने देखा कि वहां घरों में गंगपे नहीं लगे हैं। दरवाजे नहीं लगे हैं लोग जाते हैं अपना काम करके आते हैं और श्रीमन्, उनका दरवाजा खुला हुआ है। उनको किसी बात का डर नहीं है। न चोरी का डर, न डकैती का डर है। तो श्रीमन, किसी समाज को बनाने के लिए बहुत क्रान्ति करनी पड़ती है और उस क्रान्ति के लिए गांव में बसना पड़ता है और उन गरीबों को गले से लगाना पड़ता है। महात्मा गांधी नहीं होते, रवीन्द्र नाथ टैगोर नहीं होते, जिन लोगों ने कन्दराओं मे बैठ करके बड़ी बड़ी किताबों की रचना की, जो जंगलों में रहते थे जो फल-फूल खाते थे जो बाल्मीकि डाकू था वह संत और साधु बन गया उसने ऐसी रचनाएं की कि आज भी हमारा दिल उनको पढ़ने के बाद फड़क उठता है। तो क्या आज हम इस बिल को ला करके इस नैतिकता को ला सकते है और अगर नहीं ला सकते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम दूसरा किस तरफ ध्यान दें। आचार रहित बना करके कानून बना करके और कानून के अंदर जा करके आज हम इस समाज को ठीक नहीं कर सकते हैं।

आज यहां पर होड़ लगी हुई है। किस बात की होड़ लगी हुई है। चाहे किसी पार्टी के लोग हों, विरोधी दल के लोग हैं, बैठे हुए है नेता लोग, मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने अपने मैनीफैस्टों का, जो घोषणा पत्र है जिनके बल पर वे चुन करके आये हैं कभी उसकी तरफ भी देखा है? या कि केवल चुनाव में घोषणा पत्र पढ़ा

जाता है? आप यह पायेंगे कि एक घोषणा पत्र आज सारे देश में जनतंत्र में प्रजातंत्र में और इस देश में चल रहा है और जो बड़ी खतरनाक बात है। वह घोषणा-पत्र क्या है कि जो शासन में हो उसके खिलाफ जहर उगलो और उस जहर को उगलने के बाद सारे अखबार और सारे लोग उसका प्रचार करें तथा प्रचार करने के बाद उसको आत्मा को और जो उसके अंदर पवित्रता है उसको खत्म किया जाये और येन केन प्रकारेण आज शासन पर अधिकार जमाया जाये। आज केवल इसी बात की होड़ चल रही है। श्रीमन् आप देखें और विवेचना करें कि हमारा स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। हम कितना पतन की तरफ जा रहे हैं। क्या हम प्रजातंत्र की पुनीतता को बरकरार रख सकते हैं? क्या हम इस प्रजातंत्र को चाहे हम यहां बैठे हों, हमारे साथी बैठे हों या कल आप बैठें अगर साधन की पवित्रता नहीं तो आप इस जम्हुरियत को, प्रजातंत्र की पवित्रता को पुनीत रख पायेंगे। श्रीमन् इसमें होड़ लगी हुई है कि हम जल्दी से जल्दी कितनी आज गंदगी ला करके उछालें उसको समाज में फैला सकें ताकि अमुक आदमी चाहे कितना पवित्र हो, इतना गंदा हो जाये। हमें इस साधन और प्रचार को बंद करना पड़ेगा और उसके लिए हर पार्टी को कार्यक्रमों के आधार पर गांवों की तरफ जाना पड़ेगा, गांव में काम करना पड़ेगा और उसके लिए गांव को आज ऊंचा उठाना पड़ेगा, उसको पवित्र बनाना पड़ेगा, गरीब को गले से लगाना पड़ेगा उनके दुख सुख में आगे आना पड़ेगा। यह जब तक पवित्रता नहीं आयेगी तब तक इस बिल के क्लाजेज से जिसमें यह है कि मिनिस्टर लोग, एम० पी० लोग, चेयरमैन राज्य सभा, स्पीकर लोक सभा, ये लोग एक दस्तावेज दे दें कि मेरे पास इतना ही है, कुछ नहीं होगा।

श्रीमन् मैं स्वयं अपनी बात बताना चाहता हूं। बगाईतकर साहब ने तो अपनी बात नहीं बतायी होगी, लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि मैं भी राजनीति में कैसे आया। मान्यवर, मैं घर का छोटा मोटा जमींदार था, मेरे बाप कभी जेल नहीं गये, मेरे परिवार में कोई जेल नहीं गया। मेरे पिता ने कहा कि आप फौरन घर से बाहर जाईये, आप जेल से हो करके आये हैं। श्रीमन् हालात क्या हो गयी कि मुझे घर से बाहर बीबी के साथ निकाल दिया गया। मैं बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील का रहने वाला हूं लेकिन गोरखपुर में जा करके 22 मील की दूरी पर मैंने राजनीति शुरु की और श्रीमन् आज के नौजवानों की तरह राजनीति नहीं शुरु की। सहज राजनीति, किसी नेता के आगे-पीछे, दौड़ी, उनको खुश करना अपनी भाषा से अपने प्रेम से, अपनी चाटुकारिता से और उसके बाद नेता और मिनिस्टर बन जाएं यह मैंने अपने जीवन में नहीं किया, मेरा राजनीतिक जीवन चालीस साल का हो रहा है। बच्चा था खदेड़ दिया गया, गांव-गांव घूमा, यह माननीय कल्पनाथ राय जी जो यहां बैठे हुए हैं, यह प्रधान मंत्री आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी के यह मेरे सामने गोरखपुर युनिवर्सिटी यूनियन के सभापति थे और अब हमारे नेता हैं और यह जानते हैं कि गांव-गांव, घर-घर में घूम करके कुल चार कपड़ों के साथ अपनी विलासिता को छोड़ कर के और किसी तरह से गांव से विधान सभा में पहुंचा और विधान सभा से लोक सभा और राज्य सभा में आया।

आप समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी दुष्कर होती है। यह हमारे केसरी जो बैठे हैं जिन्होंने जंगे-आजादी में अपना जीवन गुजारा है। यह जानते हैं कि आजादी कैसे मिलती है।

तो, श्रीमन, सहज राजनीति सहज व्यापार, सहज तरीके से राजनीति में ऊंचा उठने

का जो प्रजातंत्र को गांधी और जवाहर ने हमको दे दिया है, उसको मटिया-मेट करना—आज यह भी हमारा धर्म हो गया है। देश और तवारीख हमको कभी माफ नहीं करेगी जिस समय कि पूछा जाएगा कि वे कौनसे लोग हुए हैं जिन्होंने राजनीति के स्तर को गिराया जिन्होंने मौलिक सिद्धांतों का हनन किया, जिन्होंने देश की व्यवस्था को बिगाड़ा है, जिन्होंने प्रजातंत्र और जम्हूरियत को, जब सब का चिराग जल रहा था, तो हिन्दुस्तान में जलने नहीं दिया। (**समय की घंटी**)।

इसलिए मैं, श्रीमन्, आपसे कह रहा हूं—मैं तो सोचता था कि घंटा भर और बोलूंगा, लेकिन आपका आदेश है।

तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने मित्र श्री बागाईतकर साहब का बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने इस बिल को लाकर अवसर दिया। आज मैं इतना ही कहूंगा कि समय की पवित्रता, समय की मांग, राजनीतिक पवित्रता की मांग यह कहती है कि हम आज अपने में से भेद-भाव छोड़ कर के गांव की तरफ निकलें, उसको पवित्र बनाएं। गांव की स्थिति जो 60 प्रतिशत लोग अभी बिलो पावर्टी लाइन हैं और उसके लिए गांव-गांव में चल करके गांधी और दूसरे अपने नेताओं और अपने दृष्टिकोणों के आधार पर उन गांवों का सृजन करें, उनकी गरीबी को दूर करें। इस बिल से हो सकता है, इसका उद्देश्य बड़ा अच्छा हो सकता है और आज इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप बिल लाए हैं।

मैं ऐसा नहीं मानता कि इसकी पवित्रता नहीं है, इसकी सतर्कता नहीं है, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि आपका मजदूरों और किसानों का देश है, गांव है, उसमें चलें और चल करके विचारों को और उनकी गरीबी से लड़ने के लिए तैयार हों और इस देश को एक अच्छी राजनीति दें, जो गांधी, जवाहर के दिखाए हुए सिद्धांत हैं, वे आधार हों।

इस बिल के लाने से—लोक सभा में या राज्य सभा में—कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं उठेगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज समाज के निचले स्तर पर पवित्रता लाने की कृपा करें, तभी जाकर आप इस देश में सही तरीके से समाजवाद ला सकोगे और भविष्य में नव-निर्माण की रचना कर सकोगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय बागाईतकर साहब से निवेदन करूंगा कि अच्छा हुआ कि आप यह बिल लाए जिससे कि चर्चा हो गई। लेकिन आप अब अपने बिल को वापिस ले लें, तो बड़ी कृपा होगी।

श्री हुक्म देव नारायण यादव (बिहार): मैं वहीं से शुरू करूंगा जहांसे पाण्डेयजी ने अपनी बातें खत्म की है। माननीय पाण्डेय जी ने अपनी बात खत्म करते हुए आग्रह किया कि हम लोग गांव में चलें, गरीबों की बात सोचें और देश के गांवों में पवित्रता लाने की बात सोचें। तो मैं आप से निवेदन यह करना चाहूंगा इस सदन से उपसभाध्यक्ष महोदय, कि कबीरदास ने कहा है:

"जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिये
दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई"।

जब खुद अपने ही दर्पण में गंदगी लगी रहेगी तो आप दुनिया का दर्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पवित्र करने वाले के लिए प्रथम कर्तव्य यह होता है कि वह पहले अपने को शुद्ध करे। जब हम अपने जीवन की शुद्धता की बात नहीं कर सकते, जब व्यक्तिगत जीवन में अपने को हम नियमों के बंधन में नहीं बांधना चाहते तो फिर दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह इस पक्ष के उस पक्ष के किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। यह शायद आपको मालूम न होगा, जिस समय मैं लोक सभा में था, जनता पार्टी में था, उस समय भी लोकपाल विधेयक बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध थे, लड़ाई लड़े, र्ष कए थे, अपने दल के अंदर

[श्री नर सिंह नारायण पांडेय]

लड़ते थे और दल की सीमा को तोड़ कर भी यह किया करते थे। आज लोक सभा की वह कार्यवाही इस बात की साक्षी है कि दल की सीमा को तोड़ कर भी उन मामलों पर हम लोग लोक सभा में सरकार पर बरसते थे। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन की शुद्धता हो, लोगों के जीवन शुद्ध हों। इसे किसी व्यक्ति के साथ जोड़ने का सवाल नहीं है और इसे किसी पार्टी के साथ जोड़ने का सवाल नहीं है। हम लोक सभा के सदस्य रहे, राज्य सभा के सदस्य अभी हैं, मैं सरकार चलाने वाले जितने लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय नेता जिसके चरणों में हम लोगों ने राजनीति सीखी थी, डा० राम मनोहर लोहिया से सीखी थी, उन्होंने कहा था कि जब तक गंगोत्री शुद्ध नहीं होगी, गंगा की धारा पवित्र नहीं हो सकती है। गंगोत्री में गंदगी रहेगी तो बनारस में, बिहार के पटना में, भागलपुर में गंगा में फिल्टर लगा कर गंगा के पानी को साफ नहीं कर सकते। अगर गंगोत्री से शुद्ध और स्वच्छ निर्मल जल की धारा प्रवाहित होती रहेगी तो चाहे कानपुर या पटना में गंगा की धारा में कितनी गंदगी जाए किन्तु चूंकि उसका उद्गम पवित्र है इसलिए सर्वत्र गंगा की धारा पवित्र ही रहेगी। उसी प्रकार हिन्दुस्तान की राजनीति में, लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था में संसद एक गंगोत्री की तरह है जहां से प्रशासन की धारा निकलती है। अगर संसद पवित्र होगा, कहने का मतलब कि राजनीति पवित्र होगी, तो प्रशासन पवित्र होगा, राजनीति पवित्र होगी तो व्यापार पवित्र होगा, राजनीति पवित्र होगी तो न्यायपालिका पवित्र होगी, राजनीति पवित्र होगी तो कार्यपालिका पवित्र होगी, क्योंकि सम्पूर्ण को संचालित करने वाली यह राजनीति है, और राजनीति का उद्गम स्थान, भारत का संसद् है। चाहे हम इस दल के हों या उस दल के हों, भारत की यह संसद् है जहां से राजनीति की धारा निकलती है। यहां राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा तो सम्पूर्ण देश के अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पैदा होता है। राजनैतिक भ्रष्टाचार के गंदे कूड़े पर अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के कीड़े जन्मते हैं, पनपते हैं और इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, कि आदरणीय सदाशिव बागाईतकर ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसको स्वीकार करें। अगर कोई कहे कि मेरा जीवन पवित्र है, उस से पहले देखने वाले को भी पता लगे कि मेरा जीवन पवित्र है। हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं हम इस बात को मान कर चलते हैं कि दो तरह की मान्यताएं इस देश में रही हैं। दो तरह की मान्यताओं के विचारों का टकराव चलता रहता है। यह एक वैचारिक द्वंद है। एक विचार चलता रहता है कि संस्था पवित्र होगी तो व्यक्ति पवित्र होगा, एक विचार कहता है कि व्यक्ति को पवित्र करो, संस्था पवित्र हो जाएगी। यदि व्यक्ति पवित्र होंगे तो संसद् पवित्र होगा। एक विचार कहता है, संस्था पवित्र करो, व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। हमारा संसदीय लोकतंत्र में विश्वास है। लोग यह मान कर चलते हैं कि संसद् को पवित्र करने का काम तब होगा जबकि उसके नियम, कायदे-कानून को शासन के किसी व्यक्ति को तोड़ने की गुंजाइश नहीं रह जाए। हम अपने ऊपर कितना नियंत्रण कर सकते है यह हिन्दुस्तान की जनता देखना चाहती है। आय-कर और अन्य करों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोग स्वयं आत्म-प्रवंचना करते है, हम लोग स्वयं देश की जनता को धोखा देते हैं। हमें वेतन मिलता है 500 और भत्ता मिलेगा 1000 रु० और हम इनकाम का रिटर्न इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें इस इंतजाम के अंदर सरकार 500 रु० वेतन देती है और 1000 रु० भत्ता है। यह जनता से कब तक छुपाने का काम करते रहोगे? जैसे हम लोग सोच रहे हैं दुनिया अंधी है क्योंकि हम लोग जो कानून बनाने वाले, संसद् में बैठने वाले, विधान सभा में बैठने वाले लोग हैं यह सोचते है कि उन्ही की आंखें हैं, बाकी लोगों को आंखें नहीं हैं। जो

सरकारी कर्मचारी हैं, एक नम्बर की कुर्सी पर बैठे हैं, दो नम्बर की कुर्सी पर बैठे हैं उन को टैक्स से बरी कर दिया, उन के भत्ते पर टैक्स नहीं लगाया। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सर्वसाधारण जनता है, कमाने वाले लोग है वह थोड़ा भी कमायें उन को टैक्स देना पड़ेगा। आप एक कानून बनाइये। चाहे हिन्दुस्तान का बड़े से बड़ा आदमी हो या भिखारी से भिखारी आदमी हो, सभी के लिए एक कानून हो और एक कानून के नीचे सब को चलना पड़े।

आप ने कहा निन्दा करते हो। कोई निन्दा नहीं है। संसद-सदस्य या जो सरकार चलाने वाले लोग है उन का निजी चरित्र नहीं है। राजनीति का अधः पतन हुआ है जब लोगों ने कहना शुरू किया कि हमारे चरित्र के दो खाने हैं, एक सार्वजनिक चरित्र, एक निजी चरित्र। चरित्र की भी दो कोठरियां हैं--एक सार्वजनिक चरित्र, एक निजी चरित्र। कह दिया करते हैं कि यह तो हमारी प्राइवेट लाइफ की बात है। क्या है आप की प्राइवेट लाइफ? आप को कोई पकड़ लाया है संसद-सदस्य बनने के लिए? हिन्दुस्तान की जनता यह कह कर लाई है कि तुम सब कानूनों को अपने पैरों के नीचे मदमस्त हाथी की तरह रौंदने का काम करो, हम तुम्हें माला पहना कर आरती उतारने का काम करेंगे? हिन्दुस्तान की जनता ने हम को, आपको भेजा है, हिन्दुस्तान की जनता के बल पर हम यहां आये हैं, जनता की गाढ़ी कमाई पर यहां आये हैं तो हमारा सब कुछ सार्वजनिक है। हम कितनी शादी करते हैं वह सार्वजनिक है, कितनी औरतों से मुहब्बत करते हैं वह सार्वजनिक है, कितने बच्चे पैदा करते है यह भी जनता को पूछने का हक है, कोठरी में बन्द हो कर पलंग पर सोते हैं या रमणियों के साथ किलोल करते हैं, यह भी जनता को पूछने का हक है। जहां जीवन पर परदा डालने की कोशिश की जाती है, वहां जनता को शक पैदा होना स्वाभाविक है। हमारा जीवन टेलीविजन की तरह होना चाहिए। हमारी जिन्दगी में कहीं कोई निजी और सार्वजनिक का खाना न हो, बल्कि हमारा सम्पूर्ण जीवन सार्वजनिक जीवन हो, हिन्दुस्तान की जनता सम्पूर्ण जीवन की तस्वीर देख सके। हम अपनी सम्पत्ति को गुप्त क्यों रखें? हम लोगों से जनता पार्टी में रिटर्न मांगा गया था। रिटर्न देने के बाद हम लोगों ने लड़ाई भी शुरू की थी कि हमारे रिटर्न को पबलिकली प्रकाशित कर दो जिस से लोगों को मालूम हो सके कि हमारा रिटर्न सही था या गलत। हुक्मदेव नारायण यादव ने अपनी सम्पत्ति का जो विवरण दिया है कांस्टीटुएन्सी के किसी आदमी को शंका है कि गलत दिया है, धोखा दिया है, गलत इन्दराज कर के दिया है तो फिर उस आदमी को हक होना चाहिए कि हम पर मुकदमा दायर करे। मैं तो इस सीमा तक जाने के लिए तैयार हूं कि हमारे ऊपर पाबन्दी रहे कि संसद-सदस्य अगर अपनी सम्पत्ति का गलत विवरण देता है, छिपाने का काम करता है तो न केवल उस को सजा हो बल्कि अयोग्यताओं में एक अयोग्यता यह भी दर्ज कर दी जाय कि इस ने धोखा दिया था, इस ने सम्पत्ति का विवरण गलत दिया था इस से हिन्दुस्तान की जनता को हमारे ऊपर विश्वास होगा। चाहे आप ने उठाया, चाहे हम ने उठाया, आप ने चाहे मोरारजी देसाई के खिलाफ उठाया हो, कान्तिभाई देसाई के खिलाफ उ या हो, चरणसिंह या उन के रिश्तेदारों के खिलाफ सवाल उठाया हो, मैं ने आप के दल के नेताओं के खिलाफ अन्तुले साहब से ले कर प्रधान मंत्री जी के खिलाफ सवाल उठाये हों, हिन्दुस्तान की जनता यह जान गयी है कि राजनीति में सभी पर कहीं-न-कहीं, कुछ-न-कुछ धब्बा लगा हुआ है। चाहे कोई सौ मन गन्दा हो, चाहे किसी पर सुई की नोक बराबर गन्दगी हो, कुछ न कुछ धब्बा लगा हुआ है हरएक के दामन पर आप ने प्रमाणित किया हो या नहीं हम लोगों ने प्रमाणित किया है।

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]

डा० रुद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): आप सब पर लांछन नहीं लगा सकते। हो सकता है आप के दामन पर धब्बा हो, लेकिन प्रजातंत्र में यह कहना कि सभी राजनैतिक दल के ऊपर

[डा० रूद्र प्रताप सिंह]

धब्बा है, प्रजातंत्र के मुंह पर तमाचा लगाने के बराबर है ।

श्री धर्मवीर : अगर आप प्रजातंत्र प्रणाली में यह दोष बताते हैं तो आप आमंत्रित करना चाहते हैं डिक्टेटरशिप को आप आमन्त्रित करना चाहते हैं मिलिटरी रूल को । अगर संसद . . .

श्री हुक्म देव नारायण यादव : मैं ने आपसे जवाब नहीं पूछा था । आप ने जितनी बातें कहीं मैं ने उस का सौवां हिस्सा जरा सा छुआ है । आप ने कहा, हम ने कहा, चाहे सत्य हो या असत्य लेकिन हिन्दुस्तान की जनता के सामने बातें आयी हैं । हमारी बात सौ फीसदी गलत हो, आप की बात सौ फीसदी गलत हो यह देखने का सवाल नहीं है । देखने का सवाल यह है कि राजनैतिक भ्रष्टाचार की बातें हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी तेजी से उभर कर सामने आयी हैं उस से हिन्दुस्तान की जनता आज जरूर सशंकित है। अपने प्रतिनिधियों के बारे में जरूर सशंकित है । इस लिये जो उन्होंने सम्पत्ति के बारे में कहा है, जो उन्होंने कहा है कि यह प्रजातंत्र प्रणाली के लिये गलत बात होगी, इस से प्रजातांत्रिक प्रणाली में लोगों को शंका पैदा होगी, उस पर आघात होगा, तो प्रजातंत्र पर आघात नहीं होगा बल्कि संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्रीय व्यवस्था को शुद्ध और परिमार्जित करने के लिये, रोगी व्यवस्था को निरोग बनाने के लिये, लकवामार व्यवस्था को तन्दुरुस्त बनाने के लिये और सार्वजनिक जीवन में शुद्धता लाने के लिये यह विधेयक लाया गया है । आप इस से अच्छा विधेयक ला सकते है । लाइये । इस से अच्छा विधेयक लाइये । मैं जानता हूं कि जिस समय लोकपाल विधेयक बना था 1978 में वह लाया गया था । उस के लिये जो ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी थी उस कमेटी का मैं मेम्बर था । मैं यह भी जानता हूं कि उस लोकपाल विधेयक के खिलाफ कितनी लाबी संसद सदस्यों की थी कि उस लोकपाल विधेयक को नहीं लाना है और मैं उस के खिलाफ लड़ता रहा । मुझे लोग कहते थे कि क्यों आप इस विधयक को ला रहे हो । तो उस लोकपाल विधेयक के खिलाफ बहुत से संसद सदस्यों की लाबी चली थी कि इस विधयक को नहीं लाना है । संसद सदस्यों पर प्रतिबन्ध न लगने दो । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बारीक और मौलिक सवाल है कि हम अपने को कितना नियंत्रित रखना चाहते हैं । अपने जीवन को शुद्ध करने के लिये हम कितना कड़े से कड़ा कानून बनाना चहते हैं और मैं अपनी बराबरी अपने ही लोगों से करता हूं । उपसभापति महोदय, मैं अपनी बराबरी संसद सदस्य की हैसियत से सरकारी नौकरों से नहीं करूंगा, क्लास वन अफसर से या क्लास टू अफसर से नहीं करूंगा, वह चाहे कलेक्टर हो या कमिश्नर हो या चीफ सेक्रटरी हो या कैबिनेट सेक्रेटरी हो । उस से मैं अपनी बराबरी नहीं कर सकता हूं क्योंकि कुछ भी हो वह सरकारी नौकर कहा जायगा और मैं कुछ भी होऊं मैं जनता का प्रतिनिधि कहा जाऊंगा । जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि, जिस का निर्वाचन जनता ने किया और जनता द्वारा नियुक्त नौकर, इन दोनों में फर्क होना चाहिए । वह सेलेक्टेड नौकर है और मैं इलेक्टेड नौकर हूं । हम निर्वाचित और मनानीत नौकर हैं और वह नियुक्त नौकर है, इन दोनों के बीच फर्क होना चाहिए । इस को हम को देखना होगा । इसलिये मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और मैं अपने जीवन को साफ रखने के लिये, अपने चरित्र को निर्मल रखने के लिये यह विधयक लाना चाहता हूं

इसलिये मैंने कहा कि जो दर्शन कबीर का है वह हमें अपनाना चाहिए :

"जो दर्शन करना चाहिए, तो दर्पण मांजत रहिये,
दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई।"

जब तक अपना आइना साफ नहीं होगा दुनिया को साफ नहीं देख सकते हो। अपने चरित्र को निष्कलंक नहीं रखोगे तो दुनिया को निष्कलंक और निर्मल बनने का उपदेश नहीं दे सकते। आइए, हम और आप लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अपने चरित्र को निष्कलंक और साफ रखने के लिए, लोकतंत्र की मर्यादा रखने के लिए और फिर जनता में विश्वास लाने के लिए उसी महात्मा गांधी के आदर्श को ले कर चलें कि हम अपने को समाप्त करेंगे, अपने को दुख में रखेंगे और कष्ट में चलते हुए भी इस देश की महान जनता, जो 50 फीसदी गरीबी की रेखा के नीचे है, जो आधा पेट खाती है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, उन गरीबों के लिए इतना त्याग कर सकते हैं। आज त्याग; कुर्बानी और बलिदान के नये युग को आरम्भ करने के लिए इस ढोंगी और भोगी व्यवस्था को लात मारो और इसे समाप्त करने के लिए हम और आप कितना आगे बढ़ सकते हैं यह देखना है। यह हमारी और आप की अग्नि परीक्षा है और यह विधेयक उस अग्नि परीक्षा के घेरे में आप को और हम को देश की जनता के सामने खड़ा करेगा। इस लिए मैं इस का समर्थन करता हूं।

SHRI M. R. APPAROW (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, there can be no two opinions about this Bill In a democracy, public confidence should be maintained in the representatives of the people. Even now, all of us have election expenses accounts. Election expenses for the Assembly are about Rs. 8,000 or Rs. 10,000 and for Parliament about Rs. 30,000. I wonder how many people are really spending this amount only. Even now, it is not as if there is no check on the expenses and the amounts spend by Members of Parliament. Several Members lost their seats on exceeding the account limit. In the Andhra Pradesh Assembly we passed such Bills when I was a Member. It was passed on Santhanam Committee report. We passed a Bill to declare our assets and the file was kept with Chief Minister. So this type of Bill will not be questioned by anybody about its appropriateness. But are we sure that this will end corruption? It is not certain. No legislation by itself cannot solve the problem of corruption. It is a question of integrity and honesty. These things are necessary as the speakers before me have made it clear. But it should not be confined to the Members of Parliament or the Members of the Assemblies only. Anybody, whether he is a Government officer or an employee of an private firm, should also fall in line. Nobody should make undue profits from blackmarketing or any other source. Therefore, it should be extended to everybody. Everybody should show how he earns his money and what are his assets. A ceiling should be imposed on property. It should not be confined to only landed property but it should be extended to all properties. This is a welcome suggestion and a welcome Bill and I am sure that nobody will oppose it and the Government will also support it. I do not know whether this bill involves an amendment of the Constitution. Probably, it will involve an amendment of the Constitution. There is not much for me to say. I whole-heartedly support the intention of the Bill. I think the Government themselves should bring forward a Bill of this nature, because it involves more careful consideration. Therefore. I suggest that the Government should take it up. I urge upon the hon. Mover to drop it and to leave it to the Government to bring it forward.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, आदरणीय बागाईतकर जी ने जो बिल यहां लोक जीवन की पवित्रता को ठीक करने के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें। गांधी जी और नेहरू जी को बहुत सी बातें उनके द्वारा कही गई। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आज देश में राजनीति की चर्चा होती है और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की परम्परा चलती है तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इसका परिणाम ठीक नहीं होता है आज भी मेरी यह मान्यता है कि—

The worst political worker of any political party is better than any Government servant or anybody in this country.

श्रीमन्, इस देश में किसी भी राजनीतिक दल का, जिसको आप सबसे रद्दी कार्यकर्ता समझते हैं, वह किसी से भी बहुत अच्छा है। यह पोलिटिकल लाइफ है। यह अगर आपका नजरिया नहीं है, यह आपकी समझदारी नहीं है तो आपकी राजनीति करने या राजनीतिक दल में रहने या विचार-विमर्श करने का कोई अधिकार नहीं है। उपसभापति महोदय, "मीठा मीठा गप्प, कड़वा-कड़वा थू" यह आज हिन्दुस्तान की राजनीति की परम्परा बन गई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चिमनभाई पटेल जब गुजरात में कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे तो हिन्दुस्तान के सारे विरोधी दलों के नेताओं ने यह आन्दोलन चलाया कि चिमन चोर है। जब इन्दिरा गांधी ने चिमनभाई को निकाल दिया तो लोकदल ने उसको अपना नेता बना दिया।

5 P.M. जब बीजू पटनायक पर बहस हो रही थी तो यह कहा गया कि वह चोर है, भ्रष्ट है और उसने एयर लाइन्स में करोड़ों रुपये का गबन किया है। तब प्रधान मंत्री ने बीजू पटनायक को पार्टी से निकाल दिया लेकिन आपने, जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें अपने मंत्रिमण्डल में मंत्री का पद दे दिया। इसी प्रकार से मुद्राकांड में जब एच० एम० पटेल को पकड़ा गया तो कांग्रेस सरकार ने उन्हें निकाल दिया लेकिन जनता पार्टी ने उन्हें भी अपने मंत्रिमण्डल में वित्त मंत्री बना दिया। उसने इस देश का कई टन सोना बेचकर दिवालिया बना दिया। हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं दूसरा हमारे प्रति करें। बागाईतकर साहब, श्री शरद पवार ने 50 लाख का प्रतिष्ठान बनाया था इसकी आपको जानकारी है या नहीं ?

श्री उपसभापति : कल्पनाथ राय जी, समाप्त करिए। आप अपना स्थान ग्रहण करिए।

श्री कल्पनाथ राय : 84 लाख रुपये का ट्रस्ट हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों से सारी ताकत का इस्तेमाल करके इस देश के प्रधान मंत्री ने बनाया था और उसके खुद चेयरमैन बन बैठे। क्या यही आपकी नैतिकता है। क्या यही तुम्हारा मानदण्ड है। (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइए। आपका भाषण जारी रहेगा।

श्री कल्पनाथ राय : नैतिकता के बारे में जनता पार्टी के नेता यहां बोल रहे थे मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्या यही नैतिकता है। (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : अगली बार जब बहस होगी आपका भाषण जारी रहेगा।